उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि ...
(HRMS) परियोजना अंतर्गत ...

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

अधिसूचना सं0-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-08/2016(खण्ड) 3999 /पटना, दिनांक- 06.6.25

-:अधिसूचना:-

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-7566 दिनांक-14.07.2010 द्वारा बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त "रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010" दिनांक-01-01-2009 से प्रभावी किया गया है । इस योजना के प्रावधान के अनुसार 10/20/30 वर्षों की नियमित सेवा के उपरांत तीन वित्तीय उन्नयन वेतन बैंड/ग्रेड वेतन के सोपान में अनुमान्य है ।

2. उक्त प्रावधानों के आलोक में लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार अभियंत्रण सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी करने पर कालावधि के अनुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित तिथि/वेतन स्तर में वितीय उन्नयन(एम0ए0सी0पी0) की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्र0 सं0	पदा0 का नाम/पदनाम/आई0 डी0/गृह जिला/जल सं0 वि0 का वरीयता क्रमांक/ल0ज0सं0 विभाग का संयुक्त वरीयता क्रमांक	जन्म तिथि/ प्रथम योगदान की तिथि/ से0नि0 तिथि	स्वीकृत वितीय उन्नयन MACP) वेतनमान/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन/वेतन स्तर एवं देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	ई0 जाकिर हुसैन/ से0नि0 कार्यपालक अभियन्ता (असैनिक)/असैनिक/3565/ गोपालगंज(ल0ज0सं0वि0-17/16)	10.12.1963 21.03.1988 31.12.2023	MACP-3 दिनांक-21.03.2018 से वेतन स्तर-13 में स्वीकृत ।	
2.	श्री जितेन्द्र कुमार दिवाकर /कार्यपालक अभियन्ता (असैनिक)(कार्यकारी प्रभार) /बी0पी0एस0सी0 मेधा क्रमांक-692/गया/(MWRD-103/16)	27.10.1981 26.02.2014 31.10.2041	MACP-1 दिनांक-26.02.2024 से वेतन स्तर-11 में स्वीकृत ।	

3. उपर्युक्त वितीय उन्नयन व्यक्तिगत है, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं है ।

4. उपर्युक्त कंडिका-2 में उल्लिखित पदाधिकारी को आर्थिक लाभ स्वीकृत करने एवं वेतन पूर्जा निर्गत करने के पूर्व संबंधित कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार अपने स्तर से संबंधित अभियंताओं के प्रथम योगदान की तिथि, सेवा में टूट, दंडादेश आदि के संबंध में यथा आवश्यक जाँचकर तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे ।

5. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अन्तर्गत उत्क्रमित ग्रेड वेतन/वेतन स्तर में वेतन का निर्धारण वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-7566 दिनांक-14.07.2010 एवं 630 दिनांक-21.01.2010 के आलोक में मौलिक नियमवाली के नियम-22(I)(ए)(I) के प्रावधानों के अनुसार वेतन निर्धारण हेतु संबंधित कर्मी द्वारा यह विकल्प प्रयोग किया जाना है कि वे प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन की तिथि को वेतन निर्धारण करायेगें अथवा अगले वेतनवृद्धि की तिथि से ।

अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अन्दर यह विकल्प लिखित रूप से संबंधित पदाधिकारी द्वारा कार्यालय प्रधान/महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग को देना है ।

कृ0पृ0उ0

D: /subodh/suman file/ ACP/ Pro. Notification

6. उपर्युक्त कंडिका-2 में वर्णित अभियन्ता के संबंध में वित्तीय उन्नयन स्वीकृति संबंधी पात्रता में किसी प्रकार की त्रुटि/पार्थक्य पाये जाने पर उन्हें प्रवत्त वित्तीय उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित अधिसूचना को संशेधित/रद्द कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुशांत कुमार)
सरकार के अपर सचिव
लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक- 3999 /पटना, दिनांक- 06.6.25

प्रतिलिपि- प्रधान महालेखाकार(ले० एवं हक०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वे०दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि वित्त विभाग के संकल्प सं0-7566 दिनांक-14.07.2010 के अन्तर्गत निर्धारित सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जाँचकर यथानुमान्य वेतनपूर्जा निर्गत किया जाय ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 3999 /पटना, दिनांक- 06.6.25

प्रतिलिपि- अवर सचिव, ई गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु0-सी0डी0 ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 3999 /पटना, दिनांक- 06.6.25

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग /भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 3999 /पटना, दिनांक- 06.6.25

ई-मेल प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया एवं बेतिया/अभियन्ता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना एवं मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, गया एवं मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेतिया/<u>स्पीड-पोस्ट-</u> श्री जाकिर हुसैन, सेवानिवृत्त तकनीकी सलाहकार, <u>पत्राचार का पता-</u>103, फजल पैलेस, समनपुरा, राजा बाजार, भेटनरी कॉलेज, थाना-शास्त्रीनगर, जिला-पटना, पिन कोड-800014, मो0-8292008010(एन0आई0सी0 द्वारा सृजित ई-मेल आई0डी0-zakir.husain10@bihar.gov.in) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 3999 /पटना, दिनांक- 06.6.25

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07/आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आई0टी0 मैनेजर को निदेश है कि अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही सी0डी0 तैयार कर प्रेषण शाखा को उपलब्ध कराया जाय ।

सरकार के अपर सचिव ।